

न्यायालय सहायक कलक्टर पदेन उपखण्ड अधिकारी कोलायत

बड़जलास - श्री प्रदीप कुमार आर.ए.एस.

वाद संख्या 06/2022

Avaada Sunays Energy Private Limited जरिये प्रतिनिधी मयंक सिंह पडिहार पुत्र श्री जगमोहनसिंह पडिहार जाति राजपुत निवासी 37 प्लॉट नम्बर 32 ट्रेक्टरस एसोसियेसन, नंदनवन, जोधपुर तहसील जोधपुर जिला जोधपुर।

..... वादी

बनाम

1. कृष्णपालसिंह पुत्र प्रतापसिंह जाति राजपूत निवासी कानसिंह की सीड़ तहसील बाप जिला जोधपुर।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व कोलायत।

..... प्रतिवादीगण

उपस्थिति :-

1. रामचन्द्रसिंह भाटी अधिवक्ता वादी
2. अरुण राठौड अधिवक्ता प्रतिवादी
3. पैरोंकार राज


—: निर्णय :-

दिनांक :- 24.02.2022



वादपत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने वाद पेश कर निवेदन किया कि वादी व प्रतिवादीगण के संयुक्त खाते की भूमि ग्राम नोखडा में खसरा नंबर 72 तादादी 17.2478 हैक्टर है जिसमें वादी का 26/27 हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 1 का हिस्सा है। वादी अपने हक हिस्से तक प्रतिवादीगण के साथ अच्छी से अच्छी व मंदी से मंदी भूमि का बाई मिटस एण्ड बाउण्ड विभाजन करवाने की अधिकारी है व इसी गर्ज से वाद पेश किया है। प्रत्युत्तर में प्रतिवादी संख्या 1 ने जवाब पेश किया कि वादी स्वयं खाता विभाजन नहीं करवाना चाहती बल्कि प्रतिवादी स्वयं खाता विभाजन करवाने को तैयार है, तत्पर है। वाद स्वीकार किया जाकर सहमति के आधार पर प्राथमिक डिक्री जारी किये जाने के आदेश फरमाया जावे। वाद में विवाद की स्थिति नहीं होने व वादी एवं प्रतिवादी के मध्य खाता विभाजन करवाने के लिए आपसी सहमति होने से वाद में तनकियात व अतिरिक्त साक्ष्य की आवश्यकता नहीं होने से वाद गुणावगुण पर निस्तारित किया जावे।

उभय पक्ष की बहस समाप्त की गई। वकील वादी ने निवेदन किया कि आराजी मुतनाजा में निहीत उसके हक अधिकारों पर विपरीत असर डाले बगैर आराजी मुतनाजा का खाता विभाजन किया जावे प्रत्युत्तर में प्रतिवादी के वकील ने निवेदन किया कि


उपखण्ड अधिकारी
कोलायत जिला-बीकानेर

आराजी मुतनाजा का वादी एवं प्रतिवादी के मध्य उनके हिस्से अनुसार खाता विभाजन किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

पत्रावली का अवलोकन किया, उभय पक्ष की बहस पर विवेचन किया। वाद मुख्यतः खाता विभाजन के लिए है। पक्षकारों में आपसी सहमति होने से वाद स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार राजस्व, कोलायत ग्राम नोखडा के खसरा नंबर 72 तादादी 17.2478 हैक्टर भूमि में वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस अच्छी से अच्छी व मन्दी से मन्दी भूमि के प्रस्ताव तैयार कर खाता विभाजन के प्रस्ताव तैयार कर लगान कायम कर, नक्शा में रंग प्रदर्शित कर प्रस्ताव प्रस्तुत करे।

प्राथमिक डिकी पृथक से जारी की जाकर तहसीलदार राजस्व, कोलायत से विभाजन प्रस्ताव मंगवाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 24.02.2022 को लिपिबद्ध करवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(प्रदीप कुमार)

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
कोलायत जिला-बिकानेर
कोलायत

निर्णय डिकी की प्रति तहसीलदार राजस्व, कोलायत को पालनार्थ प्रेषित है।

(प्रदीप कुमार)

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
कोलायत जिला-बिकानेर
कोलायत